

सम्पादकीय

क्या अब निरर्थक हो रही है परमाणु
अप्रसार संधि?

संयुक्त राष्ट्र जैसे वैशिक निकाय लागू मानकों के भीतर अपने आचरण को लागू करने में केवल कुछ ही बार सफल हुए हैं, वे बड़ी शक्तियों को वश में करने में कभी भी सफल नहीं हुए हैं। अपने ज्ञान में हम राष्ट्र-राज्यों द्वारा विभिन्न देशों के व्यवहारों को मानकीकृत मानते हैं। इसलिए पॉल कैनेडी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द राइज ऐंड फॉल ऑफ ग्रेट पावर्स में तर्क दिया था कि अंतरराष्ट्रीय संतुलन में आर्थिक और तकनीकी प्रवृत्तियों के बीच एक संबंध होता है।

इस अशुभ निकर्ष में बहुत दम है कि परमाणु हमले से बचाव या कवच का अस्तित्व खत्म हो चुका है। रूस ने यूक्रेन पर हमले के दौरान परमाणु बलों के अभ्यास का आदेश दिया, जिसने परमाणु अप्रसार संधि (एनपीटी) द्वारा लागू वैशिक व्यवस्था में हमारे विश्वास को तोड़ दिया। गैरतलब है कि एनपीटी पर रूस समेत कई परमाणु शक्ति संपन्न देशों ने हस्ताक्षर किए हैं।

यह संधि परमाणु हथियार वाले उन देशों को परिभाषित करती है, जिन्होंने एक जनवरी, 1967 से पहले परमाणु विस्कोटक उपकरणों का निर्माण और परीक्षण किया था और ये देश हैं—अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। लेकिन इस संधि में निहित महान मानवीय मूल्यों को देखते हुए बाद में 191 देशों ने भी इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए हैं।

यह 1970 में लागू हुई और मई, 1995 में इस संधि को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया। किसी भी अन्य हथियार सीमा और निरस्त्रीकरण समझौते की तुलना में ज्यादा देश एनपीटी के पक्षकार हैं, जो इस संधि की महत्ता को दर्शाता है। वास्तव में उनका विश्वास था कि परमाणु हथियारों के प्रसार से परमाणु युद्ध का खतरा गंभीर रूप से बढ़ जाएगा।

उन्होंने परमाणु हथियारों की होड समाप्त करने और परमाणु निरस्त्रीकरण की दिशा में प्रभावी कदम उठाने के लिए जल्द से जल्द संभव तारीख इसलिए करने के अपने इरादे की घोषणा की थी। अंतरराष्ट्रीय तनाव कम करने और विभिन्न देशों के बीच भरोसे को मजबूत करने, परमाणु हथियारों के निर्माण पर विराम लगाने, सभी मौजूदा भंडारों को विघटित करने, राष्ट्रीय शस्त्रागारों से परमाणु हथियारों के उन्मूलन के लिए इस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे।

वे सख्त और प्रभावी अंतरराष्ट्रीय नियंत्रण के तहत सामान्य और पूर्ण निरस्त्रीकरण चाहते थे। यह संधि हस्ताक्षर करने वाले देशों को याद दिलाती है कि संयुक्त राष्ट्र के चाटर के मुताबिक, इन देशों को अपने अंतरराष्ट्रीय संबंधों में किसी भी देश की क्षेत्रीय अखंडता या राजनीतिक स्वतंत्रता और विभिन्न देशों के बीच भरोसे को मजबूत करने, परमाणु हथियारों के निर्माण पर विराम लगाने, सभी मौजूदा भंडारों को विघटित करने, राष्ट्रीय शस्त्रागारों से परमाणु हथियारों के उन्मूलन के लिए इस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे।

रूस ने इस संधि के आचरण और व्यवहार के सिद्धांतों का उल्लंघन किया, जब उसके सामरिक परमाणु बलों ने शनिवार, 19 फरवरी को राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की देखरेख में अभ्यास किया। इस अवसर पर रूस में एक अज्ञात स्थान पर परमाणु बलों द्वारा अभ्यास के दौरान एक रूसी यार्स अंतरमहादीपीय बैलिस्टिक मिसाइल (आईसीबीएम) लॉच की गई थी।

अभ्यास के लिए एक आईसीबीएम का चुनाव स्पष्ट रूप से अमेरिका के लिए संदेश है। इससे भी अधिक चिंताजनक बात यह है कि हमने वैशिक परमाणु व्यवस्था में जनता का विश्वास जगाने वाले 'परमाणु निरोध' की व्यावहारिक बैसाखी खो दी है। और ऐसा कहते हुए हम नहीं भूलना चाहिए कि रूस ने इस सार्वजनिक डर का इस्तेमाल केवल यूक्रेन पर अपने नियोजित हमले में किसी भी हस्तक्षेप को रोकने के लिए किया था।

इस तरह की नापाक तर्क को मानवीय कानूनों में विश्वास करने वाला कोई भी देश या समूह स्वीकार नहीं कर सकता। सबसे अर्थर्यजनक बात है कि मास्को उन तीन स्थानों में से एक है, जहाँ इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दिए थे और यह उन जगहों में से एक है, जहाँ इसे सुरक्षित रखा गया है। अब जबकि मानदंडों का उल्लंघन किया गया है, एक खतरनाक रास्ता खुल गया है।

रूस ने निश्चित रूप से एक बुरे राष्ट्र की तरह व्यवहार किया है और यह अन्य बुरे देशों को मानदंडों का उल्लंघन करने से नहीं रोकेगा। इसके विपरीत, पश्चिमी शक्तियों को उन असंदिग्ध देशों पर परमाणु हथियार रखने का आरोप लगाकर अपनी सेनाओं को उतारने से कोई रोक नहीं रहा है।

हमारे पास इराक का उदाहरण है, जब इराक पर सामूहिक विनाश के हथियार रखने का काल्पनिक आरोप लगाकर अमेरिका ने उस पर हमला किया और उस देश को पूरी तरह से तबाह कर दिया। इसके अलावा हमारे सामने ईरान और उत्तर कोरिया जैसी बड़ी आशंकाएँ हैं, जो रूसी उदाहरण का सहारा लेते हुए भयावह संदेश दे रही हैं।

उत्तर कोरिया ने पहले भी ऐसा किया है, लेकिन उसकी हरकतों का गंभीरता से संज्ञान नहीं लिया गया। जाहिर है, एक नई विश्व व्यवस्था गढ़ने की जरूरत है। अगर हम बड़ी शक्तियों को अपने निहित स्वार्थों के लिए पूर्ण सैन्य शक्ति के उपयोग की अनुमति देते हैं, तो हम एक अराजक व्यवस्था को जन्म देंगे।

हमें यह याद रखना होगा कि वैशिक व्यवस्था अनिवार्य रूप से चरित्र में अराजक होंगी और इसे शायद वश में करने की आवश्यकता है। प्रसिद्ध ब्रिटिश विद्वान थॉमस हॉब्स का मानना है कि मनुष्य मूलतः एक स्वाधीनी है। राष्ट्र-राजी अंततः एक सामान्यीय समूह है, चाहे उसकी राजनीतिक संरचना कुछ भी बद्य हो न।

संयुक्त राष्ट्र जैसे वैशिक निकाय लागू मानकों के भीतर अपने आचरण को लागू करने में केवल कुछ ही बार सफल हुए हैं, वे बड़ी शक्तियों को वश में करने में कभी भी सफल नहीं हुए हैं। अपने ज्ञान में हम राष्ट्र-राज्यों द्वारा विभिन्न देशों के व्यवहारों को मानकीकृत मानते हैं। इसलिए पॉल कैनेडी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द राइज ऐंड फॉल ऑफ ग्रेट पावर्स में तर्क दिया था कि अंतरराष्ट्रीय संतुलन में आर्थिक और तकनीकी प्रवृत्तियों के बीच एक संबंध होता है।

और इस ढांचे के भीतर, आर्थिक क्षमता, उत्पादकता और राजस्व उत्पन्न करने की क्षमता को सैंचय शक्ति के प्रमुख अवयवों के रूप में देखा गया। उन्होंने चुनिंदा वैशिक विस्तारवादी अनुभवों के आधार पर इस मौलिक धारणा का भारोप लगाकर अपनी प्रशिक्षणीय की थी कि बड़े पालने पर सत्ता संबंध को बनाने रखने की क्षमता वास्तव में शक्ति की स्थिति की मुख्य परिवर्तना होगी। हमारी समस्याएँ इस विचार ढांचे में हैं और इसी तरह वैशिक बैंक में हमारा व्यवहार भी है। भारत को ऐसी अराजक विचारधाराओं के साथ रहने के लिए अपने कवच से बाहर निकलने की जरूरत है और यूक्रेन पर हमले और परमाणु दिखावा, दोनों के संबंध में रूसी कार्रवाईयों पर चुप न रहकर एक रास्ता दिखाना की जरूरत है। हम अपनी संस्कृति और शक्तियों से संचार के अपने साधनों की खोज कर सकते हैं।

ये लेखक के अपने विचार हैं।

पुलिस का अपराधियों में खौफ से व्याप्त होनें के चलते कुख्यात बदमाश ने अपराध से किया तौबा

उमाकान्त श्रीवास्तव व्यूरो चीफ शाहजहांपुर: पुलिस अधीक्षक एस. आनन्द के निर्देशनुसार अपर पुलिस अधीक्षक नगर / ग्रामीण के पर्यवेक्षण के चलते जनपद में अपराधियों के पिरुद्ध अभियान चलाकर उत्तर के ऊपर कठीन कार्यवाही भी की जा रही है। जिसके चलते शहजहांपुर पुलिस की कार्यवाही से डरकर जनपद के थाना मिर्जापुर के अलावा अधीक्षक नगर के गाँव कुरुपा हाड़पुर के विवाहित बदमाश सुनील उर्फ दुर्द्या ने बुधवार को अपर पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में पहुंचकर अपर पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार के समक्ष उपस्थित हुआ तथा कहा कि मैं अपराध 1 से तौबा करता हूँ। तथा भविष्य में कोई भी अपराध किया जाता है। तो मेरा एनकाउंटर कर दिया जाये।

है। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में शाहजहांपुर पुलिस द्वारा अपराध 1 के विरुद्ध जोरा टॉलरेस नीति अपनाकर प्रभावी कार्यवाही की जा रही है।



है। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में शाहजहांपुर पुलिस द्वारा अपराध 1 के विरुद्ध जोरा टॉलरेस नीति अपनाकर प्रभावी कार्यवाही की जा रही है।

नगर आयुक्त ने आदर्श व्यापार मंडल के पदाधिकारियों के साथ किया बैठक

जयनपुर व्यूरो चीफ आर एल पाण्डे य लखनऊ के बीच एक बैठक में लालबाग सुन्दरी चौक पर आयुक्त ने आदर्श व्यापार मंडल के पदाधिकारियों के साथ किया बैठक।

जयनपुर व्यूरो चीफ आर एल पाण्डे य लखनऊ के बीच एक बैठक में लालबाग सुन्दरी चौक पर आयुक्त ने आदर्श व्यापार मंडल के पदाधिकारियों के साथ किया बैठक।

जयनपुर व्यूरो चीफ आर एल पाण्डे य लखनऊ के बीच एक बैठक में लालबाग सुन्दरी चौक पर आयुक्त ने आदर्श व्यापार मंडल के पदाधिकारियों के साथ किया बैठक।

